MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION

Silver Jubilee Hall
High Court Campus, Jabalpur

President
DHANYA KUMAR JAIN
Advocate
Mob.: 9300787853, 9424323429

Secretary
PARITOSH TRIVEDI
Advocate
Mob.: 8839696080, 9425176080

Senior Vice President
Amit Jain
Advocate
Mob. 7987766263
9713718977

Vice President
Prashant Avasthi
Advocate
Mob. 9425389007

Joint Secretary
Yogesh Soni
Advocate
Mob. 9039692379

Treasurer
Rajendra Pratap Singh
Advocate
Mob. 8839488134

Library In-Charge
Rajneesh Upadhyay
Advocate
Mob. 8770693844

Executive Member
Manoj Kushwaha
Mob. 9907454817

Smt. Sapna Tiwari
Mob. 9131872884

Vinod Mishra
Mob. 9407058197

Garima Tiwari
Mob. 7000354470

Ravindra Pratap Singh
Mob. 9425645010

Priyank Chansoria
Mob. 8319831582

Smita Kehri
Mob. 9827266335

Ref. No. 924/26 Date: 21/01/26

जबलपुर, दिनांक : 21.01.2026

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
21 JAN 2026
Reg No... एक लिफाफा, धारा
Receipt Clerk

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
जबलपुर (म.प्र.)

विषय: श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ठाकुर, एनरोलमेंट क्रमांक - SBC MP/1204/2001, को दिनांक 17.12.2024 की अधिसूचना द्वारा प्रदत्त सीनियर एडवोकेट की डेज़िग्नेशन के पुनरावलोकन एवं प्रत्याहरण (Recall) हेतु, नियम 15, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (Designation of Senior Advocates) Rules, 2025 सहपठित नियम 22, Rules, 2018 के अंतर्गत प्रतिवेदन।

महोदय,

यह प्रतिवेदन अत्यंत सम्मानपूर्वक इस आशय से प्रस्तुत किया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक B/5828-I-I-27/63-(2024), जबलपुर, दिनांक 17.12.2024 के माध्यम से श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ठाकुर को प्रदत्त सीनियर एडवोकेट की डेज़िग्नेशन के संबंध में, वर्तमान में उपलब्ध तथ्यों, घटनाक्रमों, अभिलेखों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में गंभीर पुनर्विचार एवं प्रत्याहरण की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।

1. यह प्रतिवेदन किसी व्यक्तिगत विद्वेष से नहीं, अपितु न्यायालय की गरिमा, संस्थागत अनुशासन, सामाजिक संतुलन, सार्वजनिक शांति

MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION

Silver Jubilee Hall

High Court Campus, Jabalpur

President
DHANYA KUMAR JAIN
Advocate
Mob.: 9300787853, 9424323429

Secretary
PARITOSH TRIVEDI
Advocate
Mob.: 8839696080, 9425176080

Senior Vice President
Amit Jain
Advocate
Mob. 7987766263
9713718977

Vice President
Prashant Avasthi
Advocate
Mob. 9425389007

Joint Secretary
Yogesh Soni
Advocate
Mob. 9039692379

Treasurer
Rajendra Pratap Singh
Advocate
Mob. 8839488134

Library In-Charge
Rajneesh Upadhyay
Advocate
Mob. 8770693844

Executive Member
Manoj Kushwaha
Mob. 9907454817

Smt. Sapna Tiwari
Mob. 9131872884

Vinod Mishra
Mob. 9407058197

Garima Tiwari
Mob. 7000354470

Ravindra Pratap Singh
Mob. 9425645010

Priyank Chansoria
Mob. 8319831582

Smita Kehri
Mob. 9827266335

Ref. No. ....   Date: ....

तथा सीनियर एडवोकेट जैसी विशिष्ट विधिक हैसियत की पवित्रता बनाए रखने के व्यापक उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. संयुक्त बार संघों का सर्वसम्मत संकल्प मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जबलपुर; जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर; तथा हाईकोर्ट एडवोकेटस बार एसोसिएशन, जबलपुर की दिनांक 16.01.2026 को आहूत संयुक्त बैठक में, श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ठाकुर के आचरण, सार्वजनिक कृत्यों एवं अभिलेखित तथ्यों पर गंभीर विचार-विमर्श के उपरांत पारित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उनका सीनियर एडवोकेट का डेज़िग्नेशन रद्द (Revoke) और प्रत्याहित (Recall) किए जाने हेतु औपचारिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए, ताकि संस्था की गरिमा, बार की विश्वसनीयता तथा न्यायिक प्रणाली में जनविश्वास अक्षुण्ण रखा जा सके।

3. दिनांक 13.01.2026 को अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा (ग्वालियर) प्रकरण M.Cr.C. No. 53768/2025 में बहस हेतु उच्च न्यायालय, जबलपुर में उपस्थित थे। उसी दिन लंच अवकाश के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय के समीप एक घटना घटित हुई, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन, जबलपुर में एक शिकायत दर्ज कराई गई।

4. उपलब्ध अभिलेखों, प्रत्यक्षदर्शियों के कथनों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि उक्त शिकायत में ऐसे अनेक अधिवक्ताओं के नाम सम्मिलित किए गए, जो कथित घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित ही नहीं थे।

5. यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि शिकायतकर्ता अधिवक्ता श्री रूपसिंह मरावी, श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ठाकुर के निकट सहयोगी हैं तथा प्रस्तुत शिकायत की विषयवस्तु, व्यक्तियों के नामों का चयन एवं कथित घटनाक्रम का प्रस्तुतीकरण श्री ठाकुर के प्रभाव एवं निर्देश

MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION

Silver Jubilee Hall
High Court Campus, Jabalpur

President
DHANYA KUMAR JAIN
Advocate
Mob.: 9300787853, 9424323429

M.P. HIGH COURT BAR ASSOCIATION JABALPUR ESTD 1956

Secretary
PARITOSH TRIVEDI
Advocate
Mob.: 8839696080, 9425176080

Senior Vice President
Amit Jain
Advocate
Mob. 7987766263
9713718977

Vice President
Prashant Avasthi
Advocate
Mob. 9425389007

Joint Secretary
Yogesh Soni
Advocate
Mob. 9039692379

Treasurer
Rajendra Pratap Singh
Advocate
Mob. 8839488134

Library In-Charge
Rajneesh Upadhyay
Advocate
Mob. 8770693844

Executive Member
Manoj Kushwaha
Mob. 9907454817

Smt. Sapna Tiwari
Mob. 9131872884

Vinod Mishra
Mob. 9407058197

Garima Tiwari
Mob. 7000354470

Ravindra Pratap Singh
Mob. 9425645010

Priyank Chansoria
Mob. 8319831582

Smita Kehri
Mob. 9827266335

Ref. No. ....

Date: ....

पर किया गया, जिससे परिस्थितियों को जानबूझकर गंभीर एवं उत्तेजक स्वरूप प्रदान किया जा सके। श्री रामेश्वर पी. सिंह ठाकुर, श्री विनायक प्रसाद शाह, श्री रूप सिंह मरवाही, श्री उदय साहू एवं अन्य अधिवक्ताओं के साथ मिलकर ऐसा अभियान संचालित कर रहे हैं, जो न्यायिक प्रणाली की गरिमा, शालीनता एवं अखंडता के प्रतिकूल है। प्रथम दृष्टया, इस अभियान में एक सुनियोजित दुर्भावनापूर्ण मंशा है, जिसका उद्देश्य न्यायिक तंत्र को कमजोर करना तथा अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों एवं आम जनता के मध्य अनावश्यक विभाजन एवं तनाव उत्पन्न करना है।

6. उच्च न्यायालय परिसर में जातिगत तनाव एवं शांति भंग करने का कार्य निंदनीय है, जिस कारन उपरोक्त कृत्यों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के मध्य जातिगत आधार पर गंभीर तनाव एवं झगड़े की स्थिति उत्पन्न की गई, जिससे वर्षों से चला आ रहा शांतिपूर्ण, गरिमामय एवं पेशेवर वातावरण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।

7. इन घटनाओं के कारण न केवल न्यायालय के नियमित कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ, बल्कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की देशव्यापी छवि को भी आघात पहुँचा, जो एक संवैधानिक संस्था के लिए अत्यंत गंभीर विषय है।

8. अधिवक्ता संघों द्वारा सदस्यता समाप्ति हेतु कारण बताओ नोटिस जरी किया गया है क्योकि उक्त कृत्यों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जबलपुर तथा हाईकोर्ट एडवोकेटस बार एसोसिएशन, जबलपुर द्वारा दिनांक 16.01.2026 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ठाकुर को उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उनका आचरण

MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION
Silver Jubilee Hall
High Court Campus, Jabalpur

President
DHANYA KUMAR JAIN
Advocate
Mob.: 9300787853, 9424323429

Secretary
PARITOSH TRIVEDI
Advocate
Mob.: 8839696080, 9425176080

Senior Vice President
Amit Jain
Advocate
Mob. 7987766263
9713718977

Vice President
Prashant Avasthi
Advocate
Mob. 9425389007

Joint Secretary
Yogesh Soni
Advocate
Mob. 9039692379

Treasurer
Rajendra Pratap Singh
Advocate
Mob. 8839488134

Library In-Charge
Rajneesh Upadhyay
Advocate
Mob. 8770693844

Executive Member
Manoj Kushwaha
Mob. 9907454817

Smt. Sapna Tiwari
Mob. 9131872884

Vinod Mishra
Mob. 9407058197

Garima Tiwari
Mob. 7000354470

Ravindra Pratap Singh
Mob. 9425645010

Priyank Chansoria
Mob. 8319831582

Smita Kehri
Mob. 9827266335

Ref. No. .... Date: ....

बार की आंतरिक मर्यादाओं एवं अनुशासन के प्रतिकूल तथा unbecoming of an advocate का पाया गया है।

9. सार्वजनिक वक्तव्यों में असत्य एवं भ्रामक प्रस्तुतीकरण बड़ी साजिश रचने किया है, क्योकि यह भी अभिलेख पर है कि श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ठाकुर द्वारा सार्वजनिक मंचों एवं लिखित पत्राचार के माध्यम से यह कथन प्रसारित किया गया कि अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा को बार एसोसिएशनों द्वारा सम्मानित किए जाने हेतु आमंत्रित किया गया था। जबकि संबंधित बार एसोसिएशनों के आधिकारिक अभिलेख और वास्तविकता यह स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि ऐसा कोई आमंत्रण न तो दिया गया था और न ही किसी प्रकार का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इस प्रकार के कथन तथ्यात्मक रूप से असत्य, भ्रामक एवं सामाजिक संवेदनशीलता को सुनियोजित रूप से भड़काने वाले हैं क्युकी रामेश्वर सिंह ठाकुर श्री अनिल मिश्र के प्रकरण में आपत्ति करता के अधिवक्ता हो कर ग्वालियर खंड पीठ के समक्ष उपस्थित हुए थे ।

10. सीनियर डेज़िग्नेशन आवेदन में तथ्यों का दमन अत्यंत गंभीर और अपराधिक करती है । श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ठाकुर द्वारा दिनांक 05.10.2024 को सीनियर एडवोकेट की डेज़िग्नेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन में यह स्पष्ट घोषणा की गई कि –

उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक अथवा दीवानी प्रकरण लंबित नहीं है।

जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है–

(क) अपराध क्रमांक 195/2022, थाना सिविल लाइन, जबलपुर, शिकायतकर्ता - अधिवक्ता श्री मुकेश सुलाखे, जिससे उत्पन्न आपराधिक प्रकरण RCT No. 31293/2022, जिसमें श्री ठाकुर एकमात्र नामजद आरोपी हैं तथा प्रकरण वर्तमान में लंबित है।

MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION
Silver Jubilee Hall
High Court Campus, Jabalpur

President
DHANYA KUMAR JAIN
Advocate
Mob.: 9300787853, 9424323429

Secretary
PARITOSH TRIVEDI
Advocate
Mob.: 8839696080, 9425176080

Senior Vice President
Amit Jain
Advocate
Mob. 7987766263
9713718977

Vice President
Prashant Avasthi
Advocate
Mob. 9425389007

Joint Secretary
Yogesh Soni
Advocate
Mob. 9039692379

Treasurer
Rajendra Pratap Singh
Advocate
Mob. 8839488134

Library In-Charge
Rajneesh Upadhyay
Advocate
Mob. 8770693844

Executive Member
Manoj Kushwaha
Mob. 9907454817

Smt. Sapna Tiwari
Mob. 9131872884

Vinod Mishra
Mob. 9407058197

Garima Tiwari
Mob. 7000354470

Ravindra Pratap Singh
Mob. 9425645010

Priyank Chansoria
Mob. 8319831582

Smita Kehri
Mob. 9827266335

Ref. No. ....   Date: ....

(ख) दीवानी वाद RCSA No. 7394/2019, जो स्वयं श्री ठाकुर द्वारा वादी के रूप में दायर किया गया है एवं वर्तमान में विचाराधीन है।

इन तथ्यों का जानबूझकर अपवर्जन, तथ्यों का दमन एवं मिथ्या घोषणा की श्रेणी में आता है, जो सीनियर एडवोकेट जैसी विशिष्ट विधिक पहचान के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है।

11. सामाजिक सौहार्द एवं राष्ट्रहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के सुनियोजित उददेश से किये गए कार्य अत्यधिक भयानक परिणाम के लिए निरंतर किया जाना अत्यंत गंभीर विषय है । वर्षों से लगातार सामने आए घटनाक्रम यह इंगित करते हैं कि श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ठाकुर का आचरण न्यायालय परिसर तक सीमित न रहकर, समाज में जातिगत विद्वेष, असंतुलन एवं अशांति को बढ़ावा देने वाला रहा है। ऐसे कृत्य न केवल पेशेवर कदाचार हैं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक शांति एवं राष्ट्रहिल के भी प्रतिकूल हैं।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, श्री ठाकुर का आचरण प्रथमदृष्टया निम्न प्रावधानों के अंतर्गत विचारणीय प्रतीत होता है जिसमे म.प्र. उच्च न्यायालय (Designation of Senior Advocates) Rules, 2025 के नियम 15(a)(i) - पेशेवर कदाचार, नियम 15(a)(ii) - न्यायालय के भीतर या बाहर अमर्यादित आचरण, नियम 15(a)(viii) - सीनियर एडवोकेट बने रहने का विशेषाधिकार खोने के अन्य पर्याप्त कारण तथा सहपठित नियम 22, अंतर्गत म.प्र. उच्च न्यायालय (Designation of Senior Advocates) Rules, 2018 के प्रावधान अनुसार निर्णय लिया जाना अति अवश्यक है ।

अतः माननीय उच्च न्यायालय से सविनय प्रार्थना है कि–

1. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ठाकुर को नियम 15(c) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना जारी की जाए;

ADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION

Silver Jubilee Hall

High Court Campus, Jabalpur

President
DHANYA KUMAR JAIN
Advocate
Mob.: 9300787853, 9424323429

Secretary
PARITOSH TRIVEDI
Advocate
Mob.: 8839696080, 9425176080

M.P. HIGH COURT BAR ASSOCIATION JABALPUR ESTD 1958

Senior Vice President
Amit Jain
Advocate
Mob. 7987766263
9713718977

Vice President
Prashant Avasthi
Advocate
Mob. 9425389007

Joint Secretary
Yogesh Soni
Advocate
Mob. 9039692379

Treasurer
Rajendra Pratap Singh
Advocate
Mob. 8839488134

Library In-Charge
Rajneesh Upadhyay
Advocate
Mob. 8770693844

Executive Member
Manoj Kushwaha
Mob. 9907454817

Smt. Sapna Tiwari
Mob. 9131872884

Vinod Mishra
Mob. 9407058197

Garima Tiwari
Mob. 7000354470

Ravindra Pratap Singh
Mob. 9425645010

Priyank Chansoria
Mob. 8319831582

Smita Kehri
Mob. 9827266335

Ref. No. ....   Date: ....

2. प्रकरण को माननीय पूर्ण न्यायपीठ (Full Court) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए;

3. दिनांक 17.12.2024 की अधिसूचना द्वारा प्रदत्त उनकी सीनियर एडवोकेट की डेज़िग्नेशन का पुनरावलोकन कर रद्द और प्रत्याहरण (Recall) किया जाए; तथा

4. न्यायालय की गरिमा, संस्थागत अनुशासन, सामाजिक संतुलन एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने हेतु उपयुक्त आदेश पारित किए जाएँ।

यह प्रतिवेदन पूर्णतः विधिक आधारों पर, निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप तथा माननीय न्यायालय के विवेकाधीन विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

भवदीय,

धन्य कुमार जैन **अध्यक्ष** हाई कोर्ट बार एसोसिएशन	**संजय अग्रवाल** **अध्यक्ष** हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन	**मनीष मिश्रा** **अध्यक्ष** जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर
योगेश सोनी **सह सचिव**	**सौरभ भूषण श्रीवास्तव** **सह सचिव**	**ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी** **सचिव**